



# पटना के बाद सारण-छपरा में भारी बारिश का अलर्ट

**सारण, छपरा और सिवान जिले में मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटे में तेज हवा, बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है. इसका असर भी दिखने लगा है, ठंडी हवा के साथ आसमान में बादल छा रहे हैं. बताते चलें कि पिछले सप्ताह भी तेज हवा और बारिश के साथ ओले गिरे थे, जिससे गेहूं और पेड़ों पर लगे आम को काफी नुकसान हुआ था. गेहूं खेत में गिर गया था और आम के फल भी टूटकर गिर गए थे. अभी भी इस नुकसान से उबरने की कोशिश की जा रही है, तब तक**



फिर से तेज हवा, बारिश और ओले गिरने की संभावना बताई जा रही है, जिससे किसानों में डर बना हुआ है. हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही है और आसमान में बादल तेजी से छा रहे हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवा और बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकता है, इसलिए घर में रहें, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वज्रपात से बिहार में कई लोगों की जान जा चुकी है. लोकल 18 से बातचीत में दिनेश मांझी ने बताया कि अगर अब फिर

से बारिश और ओले गिरते हैं तो किसानों को और ज्यादा नुकसान होगा. उन्होंने बताया कि कर्ज लेकर आम का बगीचा खरीदा था. पिछले सप्ताह तेज हवा और ओले गिरने से पेड़ से काफी आम गिर गए थे और जो बचे हैं, वे भी खराब हो रहे हैं. इससे उनकी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि गेहूं की दवरी और कटनी चल रही है और ओलों से गेहूं का भी बहुत नुकसान हुआ है. अगर अब फिर से ओले और बारिश होती है तो किसानों का नुकसान और बढ़ जाएगा.

तेजस्वी के बयान पर भड़के जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार

अब हेडमास्टर को नहीं मिलेगी मिड डे मील की जिम्मेदारी

## बोले- 1994 में नीतीश कुमार ने जातीय गणना की मांग की थी

केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई है। इस बीच जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान जारी किया है। दरअसल साल 1994 में नीतीश कुमार ने उस समय संसद में जातीय गणना की मांग की थी। नीरज कुमार ने इस वीडियो को शेयर किया है और तेजस्वी और लालू के दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा, राजद का राजनीतिक फरेब, अगस्त 1994 में लोकसभा में नीतीश कुमार ने अपनी राय स्पष्ट की। इसपर लालू यादव खामोश थे। 1990 से 2005 तक बिहार में जातीय सर्वे आप करा सकते थे, वो आपने नहीं कराया। नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन की बैठक में इस मांग को मुख्य रूप से उठाया तो एक राय के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया, बावजूद इसके लालू यादव खामोश थे।



**जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना** नीरज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार के अधीन जो करवाया, तो उसी का परिणाम है कि आज देश में जातीय जनगणना होने जा रही है। बिहार में जातीय सर्वे कराकर बिहार ने

नीतीश कुमार ने उदाहरण पेश किया। कर्नाटक के सरकार में बैठे लोग जातीय जनगणना के ऊपर कुंडली मारकर बैठे थे। पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आपने आजाद हिंदुस्तान में एक नई लकीर खींच दी। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव अपने

आप को चुरचुरी पटाखा साबित करना चाहते हैं। सच ये है कि 1989 में आपका जन्म हुआ। आपका उपनाम तरुण यादव के नाम पर फुलवरिया में जमीन लिखवाया गया। क्या बोले नीरज कुमार? नीरज कुमार ने आगे कहा कि साल 1994 में सीएम नीतीश कुमार पिछड़ों की आवाज बन रहे थे। नीतीश कुमार सबके हित को सोच रहे थे और आपके पिता नाबालिग होने के बावजूद आपके लिए जमीन की व्यवस्था कर रहे थे। अंतर साफ है कि अगर बिहार में जातीय सर्वे नहीं होता तो ये पता कैसे चलता कि आपके परिजन के नाम पर 41 बीघा से अधिक जमीन पटना में हैं। अगर पूरे देश में यह जातीय जनगणना होगा तो सारे काले चिट्ठे सबके खुल जाएंगे। सच को स्वीकार करिए।

## बिहार शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने किया बड़ा ऐलान

बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना संचालन में बदलाव किया जा रहा है। स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की जगह किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन योजना की जिम्मेदारी मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले के एक-एक प्रखंड के स्कूलों में यह व्यवस्था 13 मई से 13 जून तक रहेगी। इस योजना की समीक्षा के बाद इसे अन्य सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम) को पत्र भेजा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट वाले स्कूलों



प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक एमडीएम संचालन से पूर्णतः अलग रहेंगे। इनका मुख्य कार्य विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारु संचालन रहेगा। मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी शिक्षक

विद्यालय प्रारंभ होने के एक घंटे बाद ही बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेंगे। बच्चों की संख्या के अनुरूप मध्याह्न भोजन बनाने के लिए खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री रसोइया को उपलब्ध कराएंगे।

## पटना में डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह पर ले गए बदमाश, फिर पति के सामने बारी-बारी किया....

बिहार की राजधानी पटना से गैंगरेप का शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां तीन लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने एक डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने डांसर के पति के सामने ही इस धिनीनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार को दियारा के शंकरपुर गांव में शादी समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें डांस करने के बाद 25 वर्षीय युवती बुधवार की सुबह अपने पति के साथ शंकरपुर से दिधवारा रेलवे स्टेशन जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में लिफ्ट देने के बहाने एक युवक ने दोनों को बाइक पर बैठा लिया। युवक स्टेशन के बदले दोनों को



शंकरपुर सुनसान बंधार ले गया। वहां उसने अपने दो और दोस्तों को भी बुला रखा था। वहीं तीनों ने पिस्तौल के बल पर डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यह हरकत उन्होंने डांसर के पति के सामने ही की। विरोध करने पर बदमाशों ने डांसर और उसके पति को गोली मारने की धमकी दी।

घटना के बाद पीड़िता डांसर ने दिधवारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर शंकरपुर गांव से दो आरोपियों मनीष और मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है।

### मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में घोटाले की आहट

# ऋण न लौटाने वालों पर अब सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए ऋण लेने वाले उद्यमियों के खिलाफ अब सरकार सख्त हो गई है। उद्योग विभाग ने समय पर ऋण नहीं चुकाने वाले उद्यमियों पर शिकंजा कसते हुए 300 से अधिक उद्यमियों को नोटिस भेजा है, जबकि 50 से ज्यादा के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उद्योग विभाग के अनुसार, 400 उद्यमियों ने ऋण लेने के बाद एक बार भी किस्त जमा नहीं की है। विभाग को इन सभी से 17.94 करोड़ रुपए की वसूली करनी है।



यह ऋण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वित्तीय वर्षों में वितरित किए गए थे। इन उद्यमियों को 7 वर्षों में 84 किस्तों में ऋण चुकाने का मौका दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने इसकी अवहेलना की। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें 50ल अनुदान (सब्सिडी) का भी प्रावधान है। बावजूद इसके कई उद्यमियों ने ऋण राशि लौटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। विभाग के अनुसार, ऋण की वसूली अब 12ल ब्याज दर के साथ की जाएगी और पीडीआर अधिनियम के तहत भी

कार्रवाई की जाएगी। उद्योग विभाग ने इन उद्यमियों को समय-समय पर किस्त जमा करने और रसीद कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए थे। अब विभाग घर-घर जाकर वसूली अभियान चलाने की तैयारी में है। सबसे पहले उन लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो सबसे ज्यादा समय से बकाया रखे हुए हैं। यह योजना आईटी बिजनेस सेंटर, वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर निर्माण जैसे विविध लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए चलाई जा रही है। ऋण के पहले किस्त में

लाभार्थी को शेड निर्माण या संसाधन जुटाने के लिए राशि दी जाती है। स्नेहा, महाप्रबंधक, उद्योग विभाग, वैशाली ने बताया, राज्य सरकार की योजना है कि योजनाओं का लाभ सही उद्यमियों को मिले और सरकारी राशि की वसूली सुनिश्चित हो। जिन उद्यमियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ विभागीय निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग अब बकायेदारों की सूची तैयार कर रहा है और प्रत्येक जिले में मॉनिटरिंग कमिटी गठित की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर निगरानी तेज की जा सके।